न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 116/2008 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. श्यामलाल पुत्र मूलचन्द जाति जोगी

2. हनुमान पुत्र मूलचन्द जाति जोगी

3. रामसिंह पुत्र मूलचन्द जाति जोगी

4. कर्णसिंह पुत्र मूलचन्द जाति जोगी

5. रामपाल पुत्र मूलचन्द जाति जोगी

साकिन गिगलाना तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:––– अपीलांट्स

बनाम

1 जगरूप सिंह पुत्र महादेवा जाति जोगी
2 रणवीर सिंह पुत्र महादेवा जाति जोगी
3 रामोतार पुत्र महादेवा जाति जोगी
4 गोपी पुत्र महादेवा जाति जोगी
5 अमीलाल पुत्र मातादीन जाति जोगी
6 सुभाष पुत्र मातादीन जाति जोगी
7 राजपाल पुत्र महादेवा जाति जोगी
8 अशोक पुत्र मातादीन जाति जोगी

निवासीयान ग्राम गिगलाना तहसील बहरोड जिला अलवर

:––– असल रेस्पो0

9 मेवा देवी पत्नी मूलचन्द जाति जोगी निवासी ग्राम गिगलाना तहसील बहरोड जिला अलवर राज0 ––––––– (मृतक)

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, बहरोड

दिनांक 6.8.2008

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपस्थित :- 1. वकील अपीलांट्स :- श्री अशोक कुमार गुदगल

2. वकील रेस्पो0 :- श्री विनोद कुमार यादव

निर्णय दिनांक :- 12.11.2021

---

1 यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर, बहरोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 54/2001 बावत इस्तकरार हक व हुक्म इम्तनाई दवामी में पारित निर्णय दिनांक 6.8.2008, जिसके द्वारा उक्त वाद पत्र खारिज किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 223 के तहत पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण श्यामलाल वगैरा ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 537 रकबा 42 एयर, 538 रकबा 4 एयर, 539 रकबा 16 एयर, 540 रकबा 19 एयर, 541 रकबा 5 एयर, 542 रकबा 8 एयर, 543 रकबा 97 एयर, 558 रकबा 60 एयर, 559/811 रकबा 13 एयर वाके ग्राम वाके ग्राम चावण्डी तहसील बहरोड में स्थित है । उपरोक्त आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर सम्वत 2034 में 234 रकबा 3 बीघा, 235 रकबा 4 बीघा, 236 रकबा 4 बीघा 6 बिस्वा, 241 रकबा 2 बीघा 13 बिस्वा, 242/388 रकबा 12 बिस्वा, 242/389 रकबा 9 बिस्वा थे । वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही ग्राम गिगलाना तहसील बहरोड के रहने वाले हैं । उपरोक्त आराजीयात वादीगण की पैत्रिक सम्पत्ति है । दादा मंगतूराम का देहान्त हो चुका है । उनके 3 पुत्र महादेवा, मूलाराम व मातादीन थे । मूलाराम वादीगण के पिता हैं । महादेवा प्रतिवादीगण संख्या 01 ला0 4 के पिता हैं और मातादीन प्रतिवादी संख्या 5 ला0 8 के पिता है । वादीगण के दादा मंगतूराम की विरासत का इन्तकाल वादीगण के पिता मूलाराम के नाम 1/3 भाग में तथा प्रतिवादी संख्या 01 ला0 4 के पिता महादेवा के नाम 1/3 भाग में और प्रतिवादीगण संख्या 5 ला0 8 के पिता मातादीन के नाम 1/3 भाग में दर्ज हो गया था । उक्त इंतकाल दिनांक 25.7.70 को ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया था । उक्त आराजी का इन्द्राज सम्वत 2034 तक वादीगण के पिता के नाम दर्ज होता रहा, परन्तु प्रतिवादीगण के पितागण ने बंदोबस्त कर्मचारियों से साजबाज होकर सम्वत 2042 में वादीगण के पिता के हिस्से की आराजी 1/3 भाग अपने नाम दर्ज करा ली, जिसे दुरूस्त कराने का

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

वादीगण को अधिकार है । अतः निवेदन है कि वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 6.8.2008 के द्वारा खारिज किया है, जिस निर्णय के व्यथित होकर वादीगण ने यह अपील पेश की है ।

3 बहस में विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये तर्क दिये कि पक्षकारान एक ही गोरूसी आला खानदान के सदस्य है । विवादित भूमि पक्षकारान के दादा मंगतूराम की थी । विवादित भूमि पैत्रिक सम्पत्ति है, जिसमें हमारा जन्म से ही 1/3 हिस्सा बनता है । इसी अनुसार पक्षकारान के पितागण के नाम 1/3, 1/3, 1/3 भाग की विरासत स्वीकृत हुई थी । उक्त इंतकाल का अमल हमारे पिता के नाम सम्वत 2034 में हो गया था, परन्तु बंदोवस्त सम्वत 2042 में हमारे पिता के हिस्से की आराजी 1/3 भाग प्रतिवादीगण के पितागण के नाम दर्ज कर दी गई, जो कि विधिसम्मत नहीं है । तहत अदालत ने हमारा वाद पत्र इस आधार पर खारिज किया है कि हमारा पिता मु0 धापा के गोद चला गया था, इसलिये विवादित पैत्रिक सम्पत्ति में हमारे पिता का हक नहीं रहा तथा वादीगण के पिता स्वयं ने बंदोवस्त के दौरान अपना नाम कमलमजन करवाया था । इस सम्बन्ध में मेरा प्रथम निवेदन यह है कि हमारे पिता को दिनांक 25.3.1951 में मु0 धापा के गोद जाना बताया है । उक्त गोदनामा की कोई कानूनी महत्तता नहीं है, क्योंकि हिन्दू एडोप्सन एण्ड मेन्टीनेंस एक्ट 1956 में लागू हुआ है । इसलिये इसके प्रावधान सन 1956 से ही लागू होंगे, जैसा कि डब्ल्यू0 एल0 सी0 2007 पार्ट–2 राजस्थान पेज 99 में अभिनिर्धारित किया गया है । मेरा दूसरा निवेदन यह है कि गोदनामा व गोद लेने की कुछ कानूननी शर्त है, जिसके अनुसार गोद लेने वाली की उम्र गोद लिये जाने वाले से 21 साल अधिक होनी चाहिये, गोद लेने वाले बालक व बालिका की उम्र 15 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये, गोदनामे में दोनों पक्षों की अर्थात प्राकृतिक माता, पिता व दत्तक माता, पिता की सहमति होनी चाहिये, गोद लिये जाने वाला व्यक्ति अविवाहित होना चाहिये । प्रस्तुत प्रकरण में हमारे पिता को जिस समय गोद लिया जाना बताया है, उस समय उनकी उम्र 25 साल थी और वह विवाहित था और गोद दिये जाने में हमारे पिता के प्राकृतिक माता, पिता की कहीं पर कोई सहमति नहीं है । इसलिये उक्त गोदनामा की कोई कानूननी महत्तता नहीं है । यहां मेरा यह भी निवेदन है कि हमारे पिता को मु0 धापा की सम्पत्ति में विरासत प्राप्त नहीं हुई है । प्रतिवादीगण ने तहत अदालत में जमाबन्दी सम्वत 2057 प्रदर्श डी–1 के बारे में बताया है कि मूला मु0 धापा के गोद गया था,

भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदे
राजस्व अपील अधिकारी, अ

इसलिये इस जमाबन्दी में मूला का नाम आया है । इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि उक्त जमाबन्दी में हमारे पिता का नाम काश्तकार के रूप में आया है । उक्त जमाबन्दी में कहीं पर गोद जाने का उल्लेख नहीं है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय हमारे पिता का नाम काश्तकार के रूप में दर्ज था, इसलिये मु0 धापा की उक्त आराजी वाई ऑपरेशन ऑफ लॉ हमारे पिता को प्राप्त हुई है, मु0 धापा के गोद जाने के कारण मु0 धापा की आराजी प्राप्त नहीं हुई थी । हमारे इस तथ्य की ताईद जमाबन्दी सम्वत 2016 में अंकित इन्द्राजात से होती है, जिसमें हमारे पिता मूलिया को शिकमी काश्तकार दर्ज किया हुआ है । हमारे पिता के नाम विरासत इन्तकाल नम्बर 9 दिनांक 25.7.1970 को स्वीकृत हुआ था । जमाबन्दी सम्वत 2034 में उक्त इन्तकाल के आधार पर हमारे पिता के नाम का अंकन हो गया था, परन्तु बंदोबस्त सम्वत 2042 में उनका नाम कलमजन कर दिया । उक्त इन्तकाल को कहीं पर चुनौती नहीं दी गई थी । इसलिये उक्त इंतकाल का आदेश अंतिम हो गया । हमारा पिता मुलिया कभी भी मु0 धापा के गोद नहीं गये । हमारे पिता ने कभी भी अपना नाम हटवाने के बारे में बंदोबस्त विभाग को अपनी सहमति नहीं दी थी । सभी कार्यवाहियां फर्जी तरीके से की गई थी । हमारे पिता सेना में सेवारत थे । उनके पीछे से फर्जी कार्यवाही की गई थी । बंदोबस्त विभाग को हमारे पिता का नाम कलमजन करने का कोई अधिकार नहीं था । बंदोबस्त विभाग को पुरानी प्रविष्टियों को दोहराने का ही अधिकार है, उन पुरानी प्रविष्टियों को परिवर्तित करने का बंदोबस्त विभाग को अधिकार नहीं है, जैसा कि माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है । तहत अदालत का निर्णय विधिसम्मत नहीं है । अतः अपील स्वीकार कर हमारा वाद पत्र डिक्री किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट्स ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 1985 आर0 आर0 डी0 पेज 343, 1990 आर0 आर0 डी0 पेज 17, 1993 आर0 आर0 डी0 पेज 45, 1994 आर0 आर0 डी0 पेज 204, 1997 आर0 आर0 सी0 पेज 100, 2002 आर0 आर0 डी0 पेज 368, 2018 आर0 आर0 डी0 पेज 545 पेश किये ।

4 जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 का कथन है कि अपीलांट्स ने तहत अदालत में गलत सजरा पेश किया है । इनके पिता मूलचन्द मु0 धापा के गोद चला गया था । मु0 धापा की विरासत अपीलांट्स के पिता मूलचन्द को गोद पुत्र होने के नाते प्राप्त हुई थी । चूंकि अपीलांट्स के पिता मूलचन्द मु0 धापा के गोद चला गया था । इसलिये उनकी प्रतिवादीगण के

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

परिवार से सिविल डैथ हो चुकी थी तथा वे मु0 धापा के परिवार का सदस्य हो चुके थे, जैसा कि हिन्दू एडोप्शन एण्ड मेन्टीनेन्स एक्ट, 1955 में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है । इसलिये वादीगण अपीलांट्स द्वारा पेश किया गया सजरा प्रत्यक्ष रूप से गलत है । यद्यपि मूलचन्द मंगतूराम का नैसर्गिक पुत्र था, परन्तु गोद चले जाने के कारण वह मंगतूराम का पुत्र नहीं रहा, बल्कि मु0 धापा का पुत्र हो गया । मूलचन्द के मु0 धापा के यहां गोद चले जाने के कारण विवादित आराजी अपीलांट्स वादीगण की पैत्रिक नहीं मानी जा सकती । मूलचन्द ने अपने आपको मु0 धापा के यहां गोद चले जाने के बावजूद मंगतूराम की विरासत अपने नाम गलत तौर पर दर्ज करा ली थी, जिस विरासत इन्तकाल को बाद में स्वयं मूलचन्द ने अपनी सहमति से बंदोबस्त विभाग से सम्वत 2042 में निरस्त करा लिया था । उक्त सहमति पर मूलचन्द के हस्ताक्षर है । इस प्रकार सिद्ध है कि बंदोबस्त सम्वत 2042 में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की गई है । मंगतूराम, जो कि पक्षकारान के बुजुर्ग थे, की सहमति से मूलचन्द मु0 धापा के गोद गया था । उस पर सहमतिस्वरूप उनके हस्ताक्षर हैं । उक्त गोदनामा दिनांक 28.3.1951 को तहरीर कराया गया है और दिनांक 29.3.1951 को पंजीकृत कराया गया है । गोदनामा की सम्पूर्ण रस्म अदा हुई है । हिन्दू गोद व भरण पोषण एक्ट, 1955 तथा पुराने हिन्दू लॉ के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक परिवार से दूसरे परिवार में गोद चला जाता है तो उसकी जन्म के परिवार में सिविल डैथ मानी जाती है तथा गोद लेने परिवार में उसका जन्म माना जाता है और उस परिवार की जायदादा का वह उत्तराधिकारी माना जाता है । हमारे परिवार पर पुराने हिन्दू लॉ लागू होंगे । परिशोधन पत्र, जो कि दिनांक 22.6.82 को स्वीकृत हुआ था, को स्वयं मूलचन्द ने स्वीकार किया है और उसने उक्त परिशोधन पत्र पर अपने हस्ताक्षर किये हैं । इस प्रकार सिद्ध है कि विवादित भूमि से अपीलांट्स वादीगण का कोई लेना देना नहीं है । इसलिये सही तौर पर अपीलांट्स वादीगण का वाद पत्र तहत अदालत द्वारा खारिज किया गया है । अतः निवेदन है कि अपील खारिज की जावे ।

5 हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । दौराने विचारण अपील अपीलांट्स ने दिनांक 13.12.2019 को अदालत हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 5 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 इस आशय का पेश किया था कि रेस्पो0 संख्या 9 मेवा देवी का देहान्त हो चुका है, उसके वारिसान पहले से ही अपील में पक्षकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

है । इसलिये रेस्पो0 संख्या 9 मेवा देवी के नाम के साथ अपील शीर्षक में मृतक दर्ज किया जावे । अदालत हाजा द्वारा दिनांक 14.2.2020 को उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया और अपील शीर्षक में रेस्पो0 संख्या 9 मेवा देवी के नाम के साथ मृतक शब्द अंकित किया गया । इसी प्रकार अपीलांट्स द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 पेश किया गया था, जिसके सम्बन्ध में अदालत हाजा द्वारा दिनांक 14.2.2020 को आदेश दिया गया था कि उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज साक्ष्य में ग्रहण किये जाने योग्य है अथवा नहीं, इसका निर्णय अपील का गुणावगुण पर निरतारण करने के समय किया जावेगा । अतः अपील में अंतिम निर्णय पारित करने से पूर्व आदेश 41 नियम 27 सी0 पी0 सी0 के प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित किया जा रहा है ।

6

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0 पी0 सी0 के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया । फोटो प्रति मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार मूलचन्द की मृत्यु दिनांक 23.5.1995 को हुई है । राशन कार्ड में मूलचन्द के पिता का नाम मंगतू योगी अंकित है । पी0 पी0 ओ0 नम्बर, सर्विस सर्टिफिकेट, आर्मी सर्टिफिकेट दिनांक 17.9.1982, आर्मी सर्टिफिकेट दिनांक 9.10.1979 के अनुसार मूलचन्द आर्मी में सेवारत थे, जो बाद में सेवानिवृत्त हो गये थे । इन दस्तावेजों में मूलचन्द के पिता का नाम मंगतू दर्ज है । विधानसभा बहरोड (058) निर्वाचन क्षेत्र की नामावली 1995 के भाग संख्या 24 के क्रम संख्या 456 पर मूलचन्द के पिता का नाम मंगतूराम अंकित है । उपरोक्त सभी दस्तावेजों के अवलोकन से यह तो सिद्ध है कि मूलचन्द, जो कि अपीलांट्स के पिता थे, के पिता का नाम मंगतूराम था, जिस तथ्य को रेस्पो0 प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते हैं । परन्तु ये दस्तावेज अपील का गुणावगुण पर निर्णय करने में अहम नहीं है, क्योंकि मौजूदा प्रकरण में विचारणीय बिन्दू यह है कि क्या मूलचन्द मु0 धापा के गोद गया था अथवा नहीं, क्या स्वयं मूलचन्द ने बंदोबस्त विभाग के समक्ष उपस्थित होकर खसरा परिशोधन पर अपनी सहमति देकर विवादित आराजी पर से अपना नाम कलमजन करवाया था अथवा नहीं । इन बिन्दुओं को हल करने के लिये तहत अदालत की पत्रावली में राजस्व अभिलेख एवं अन्य दस्तावेज पहले से ही मौजूद है । आदेश 41 नियम 27 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र तभी स्वीकार किया जा सकता है, जब उक्त प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज न्याय निर्णयन हेतु अहम हो । प्रार्थना पत्र के साथ पेश दस्तावेज

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न्याय निर्णयन हेतु अहम नहीं है । लिहाजा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी0 पी0 सी0 खारिज किया जाता है ।

7 इसके पश्चात प्रकरण की गुणावगुण पर गौर किया । जमावन्दी सम्वत 2057 प्रदर्श डी –1 के काश्तकार के कॉलम में आराजी खसरा नम्बर 1706 रकबा 48 एयर पर मूला, मु0 धापा वेवा रामधन के नाम का अंकन है । खसरा परिशोधन पत्र सम्वत 2039 के कॉलम नम्बर 6 में विवादित आराजी पर महादेव, मूलाराम, मातादीन पिसरान मंगतूराम जोगी रामभाग साकिन गिगलाना खातेदार का अंकन है । उक्त परिशोधन पत्र में भू प्रवन्ध विभाग के भूमापक ने दिनांक 22.6.1982 को रिपोर्ट अंकित की है कि मूलाराम ने उपस्थित होकर जाहिर किया कि ग्राम चावण्डी की जमीन महादेव, मूलाराम, मातादीन पिसरान मंगतू के नाम से चल रही है, मौके पर मेरा हिस्सा नहीं है, मैं ग्राम गिगलाना में मु0 धापा वेवा रामधन के गोद जा चुका हूं, मु0 धापा की जमीन मेरे पास दर्ज हो चुकी है, जिसका गोदनामा भी मैंने पेश किया है, चावण्डी की जमीन से मेरा नाम हटा कर सिर्फ महादेव व मातादीन के नाम से ही दर्ज कर दी जावे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है । इसकी पुष्टि ग्राम मौजिजानों ने भी की है । इसके बाद भू प्रवन्ध विभाग के निरीक्षक ने टिप्पणी की है कि मूला गोद चला गया है, रजिस्टर्ड गोदनामा पेश किया गया है, अतः मातादीन व महादेव के नाम भूमि बहिस्से बराबर अंकित करने की आज्ञा दी जावे । उक्त खसरा परिशोधन पत्र पर अपीलांट्स के पिता मूलचन्द के सहमतिस्वरूप हस्ताक्षर अंकित है । भूमापक एवं निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद दिनांक 22.6.1982 को सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी ने विवादित आराजी पर से मूलचन्द का नाम कलमजन करने एवं महादेव व मातादीन का नाम अंकित करने के आदेश दिये । इस आदेश की पालना में उक्त खसरा परिशोधन के कॉलम नम्बर 07 में केवल महादेव व मातादीन पिसरान मंगतूराम का नाम दर्ज किया गया और मूलचन्द का नाम कलमजन किया गया । दस्तावेज गोदनामा, जो कि पंजीकृत है एवं दिनांक 29.3.1951 को निष्पादित हुआ था, के अनुसार मूलचन्द, जो कि वादीगण अपीलांट्स के पिता है, मु0 धापा के गोद जाना पाया जाता है ।

8 उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में एवं तहत अदालत की पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह भलीभांति सिद्ध है कि विवादित आराजी मंगतूराम की थी, जिसके 3 पुत्र महादेवा, मूलचन्द व मातादीन थे । मंगतूराम के देहान्त के बाद विवादित आराजी मंगतूराम के

भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

उपरोक्त तीनों पुत्रों के नाम बराबर हिस्से में विरासत के तौर पर दर्ज हो गई । बाद में मूलचन्द मु0 धापा के गोद चला गया था । पंजीकृत गोदनामा निष्पादित हुआ था । मु0 धापा के गोद जाने के बाद स्वयं मूलचन्द ने बंदोबस्त कर्मचारियों व अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर यह बयान दिया कि वह मु0 धापा के गोद चला गया है, इसलिये मंगतूराम की आराजी पर से उसका नाम कलमजन किया जाकर मंगतूराम की आराजी केवल महादेवा व मातादीन के नाम दर्ज कर दी जावे । इसके बाद बंदोबस्त विभाग द्वारा विवादित भूमि मूलचन्द की सहमति से उसका नाम कलमजन किया जाकर महादेवा व मातादीन के नाम दर्ज की गई है । इसलिये अपीलांट्स का यह कथन कतई मानने योग्य नहीं है कि विवादित भूमि बंदोबस्त सम्वत 2042 में प्रतिवादीगण रेस्पो0 के पिता के नाम गलत तौर पर दर्ज कर दी गई । विद्वान वकील अपीलांट्स द्वारा जो नजीरें पेश की गई है, उनमें प्रतिपादित किया गया है कि बंदोबस्त विभाग को पुराने इन्द्राजात को बदलने का अधिकार नहीं है, वह पुराने इन्द्राजात को केवल रिपीट कर सकता है, जबकि मौजूदा प्रकरण में स्वयं मूलचन्द ने अपने आपको मु0 धापा के यहां गोद जाना बताकर बंदोबस्त विभाग के समक्ष उपस्थित होकर स्वेच्छा से अपना नाम विवादित भूमि पर से कमलजन करवाया गया है । बंदोबस्त विभाग ने अपनी तरफ से कोई इन्द्राजात परिवर्तित नहीं किये है । अतः विद्वान वकील अपीलांट्स द्वारा पेश की गई नजीरों के तथ्य एवं मौजूदा प्रकरण के तथ्य भिन्न होने के कारण उक्त नजीरें मौजूदा प्रकरण पर लागू नहीं होती है ।

9 उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में हम अपीलाधीन निर्णय में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि होना नहीं पाते हैं । लिहाजा अपील खारिज किये जाने योग्य है ।

10 अतः आदेश है कि अपील अपीलांट्स खारिज की जाकर तहत अदालत के अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 6.8.2008 को यथावत रखे जाते हैं

11 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

(अशोक कुमार सॉंखला)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सांखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 116/2018 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. श्यामलाल पुत्र मूलचन्द जाति जोगी

2. हनुमान पुत्र मूलचन्द जाति जोगी

3. रामसिंह पुत्र मूलचन्द जाति जोगी,

4. कर्णसिंह पुत्र मूलचन्द जाति जोगी

5. रामपाल पुत्र मूलचन्द जाति जोगी

साकिन गिगलाना तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:———— अपीलांट्स

बनाम

1 जगरूप सिंह पुत्र महादेवा जाति जोगी
2 रणवीर सिंह पुत्र महादेवा जाति जोगी
3 रामोतार पुत्र महादेवा जाति जोगी
4 गोपी पुत्र महादेवा जाति जोगी
5 अमीलाल पुत्र मातादीन जाति जोगी
6 सुभाष पुत्र मातादीन जाति जोगी
7 राजपाल पुत्र महादेवा जाति जोगी
8 अशोक पुत्र मातादीन जाति जोगी

निवासीयान ग्राम गिगलाना तहसील बहरोड जिला अलवर

:—— असल रेस्पो0

9 मेवा देवी पत्नि मूलचन्द जाति जोगी निवासी ग्राम गिगलाना

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

तहसील बहरोड जिला अलवर राजस्थान

:—— तरतीवी रेरपो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिकी सहायक कलेक्टर, बहरोड दिनांक 6.8.2008

उपस्थित :— 1. वकील अपीलांट्स :— श्री अशोक कुमार मुद्गल

2. वकील रेस्पो0 :— श्री विनोद कुमार यादव

पर्चा डिकी दिनांक :- 12.11.2021

अपील अपीलांट्स खारिज की जाकर तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 6.8.2008 यथावत रखे जाते हैं ।

(अशोक कुमार सॉंखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर